राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.10(567) परि/स.सु./स्टेट काउंसिल/2015/ 12652 जयपुर, दिनांक :– 28/6/16

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 20.06.2016 का कार्यवाही विवरण

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में "**स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल**" की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 20.06.2016 को शासन सचिवालय स्थित मुख्य भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक में अधिकारीगण तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधिगण की उपस्थिति का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में सर्वप्रथम माननीय परिवहन मंत्री महोदय द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं इनसे कारित मृतकों की संख्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई एवं समस्त हितधारक विभागों को सड़क सुरक्षा को और गंभीरता से लेते हुए आपसी समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता से कार्यवाही करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया।

बैठक के एजेन्डा पर बिन्दुवार चर्चा की गई एवं विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

1. गत बैठक में लिए गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा अर्वाड्स के संबंध में बजट स्रोत पर निर्णय कर इस संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (लीड एजेन्सी), जिसमें समस्त हितधारक विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों, का शीघ्र गठन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हितधारक विभागों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 10.06.2016 में लिए गए निर्णयानुसार वे सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु सक्षम स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन दिनांक 30.06.2016 से पूर्व अनिवार्य रूप से करें ताकि सुप्रीम कोर्ट समिति के समक्ष अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
3. स्टेट रोडी सेफ्टी कौंसिल के गठन आदेश में संशोधन कर प्रमुख शासन सचिव, वित्त को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
4. राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों हेतु पृथक से पर्याप्त एवं नियमित रोड सेफ्टी फण्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिसका मुख्य स्रोत चालानों से प्राप्त प्रशमन राशि का 50 प्रतिशत होगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त निर्णय से वित्त विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
5. अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त राज्य में दुपहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाली सवारियों के लिये हेलमेट की अनिवार्यता के प्रावधान को समझाइश एवं सख्त प्रवर्तन के माध्यम से निरंतर लागू कराने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 में हेलमेट संबंधी उल्लंघनों में 68,000 चालान हुए थे जो वर्ष 2015 में बढकर 1,37,000 हो गये। इस वर्ष अब तक हेलमेट संबंधी उल्लंघनों के विरूद्ध 1,53,000 चालान किये जा चुके हैं। उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि भविष्य में भी यह कार्यवाही निरंतर जारी रखी जायेगी।
6. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट का उपयोग नहीं करने के कारण हो रही गंभीर दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले हेलमेट विक्रेताओं के विरूद्ध दिनांक 22.06.2016 को संयुक्त सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये गये।
7. नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध निरंतर रूप से सख्त प्रवर्तन एवं पुलिस विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालना में प्रथम अपराध

पर भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराने एवं कारावास की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि राज्य के लगभग प्रत्येक थाने में ब्रेथ ऐनेलाइजर उपलब्ध करवा दिये गये हैं एवं निर्देशों की अनुपालना में निरंतर कार्यवाही जारी है।

8. अध्यक्ष महोदय द्वारा सड़क निर्माण से जुड़े विभागों को रोड इंजीनियरिंग के तहत् ब्लैक स्पॉट्स एवं अंधे मोड़ो के सुधार के निर्देश दिये गये। पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का विभिन्न विभागों के क्षेत्राधिकार के अनुसार वर्गीकरण एवं उनके सर्वे, बजट आवंटन, दुरूस्तीकरण एवं मॉनिटरिंग का संशाधित प्रोटोकॉल तैयार कर दिनांक 24.06.2016 तक परिवहन विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिटी के निर्देशों पर संकलित अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 30.06.2016 से पूर्व प्रस्तुत की जा सके।
9. सड़क निर्माण से जुड़े समस्त हितधारक विभागों को माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिटी के निर्देशों की अनुपालना में राज्य की सड़कों के थर्ड पार्टी ऑडिट संबंधी निर्देश दिनांक 24.06.2016 तक जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
10. स्टेट रोडी सेफ्टी पॉलिसी को कैबिनेट के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कराने की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया।
11. शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे माह जुलाई 2016 से प्रारंभ हो रहे सत्र में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये व्यापक कार्ययोजना बनाकर उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करें।
12. प्रमुख शासन सचिव एंव परिवहन आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि उद्योग विभाग को आग्रह किया जा सकता है कि वे सड़क उपयोग से जुड़े उद्योगों यथा सीमेंट उद्योग, वाहन निर्माता उद्योग इत्यादि के लिये निर्देश जारी करें कि वे सी.एस.आर (कॉरपोरेट सोशल रिसपोन्सेबिलिटी) के तहत् सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दें। इस सुझाव का अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया।
13. अतिरिक्त महानिदेशक (यातायात) पुलिस द्वारा जयपुर–शाहजहांपुर मार्ग पर आई.टी.एस स्थापित करने का प्रस्ताव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तैयार कर परीक्षण/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
14. वर्ष 2016–17 हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना के के प्रस्तावित बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से सुझाव प्राप्त किये गये। इन सुझावों में पंचायत स्तर के कार्मिकों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण में सम्मिलित करने के सुझाव को कार्ययोजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
15. अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों से केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988/नियम 1989 में संशोधन या सड़क परिवहन के क्षेत्र में सुधार में अन्य सुझाव स्वयं उन्हें अथवा परिवहन आयुक्त कार्यालय में देने का आग्रह किया गया ताकि ये सुझाव मंत्री समूह की अन्तिम रिपोर्ट में सम्मिलित किये जा सके।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त हुई।

(सत्तार खान)
अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)

क्रमांकः– एफ 10(567) परि/स.सु./स्टेट कौंसिल/2015/12653-85 जयपुर, दिनांक 28/6/16

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव (बी.सी.), माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, जयपुर।
17. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. मुख्य महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, एन.एच.ए.आई, एफ–120, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर।
19. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजिनियर), जयपुर।
20. निदेशक, सेंटर फॉर रोड़ सेफ्टी, सरदार पटेल सामाजिक एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, कैम्पस– राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
21. प्रतिनिधि, चार पहिया मोटर वाहन निर्माता।
22. प्रतिनिधि, दुपहिया पहिया मोटर वाहन निर्माता।
23. प्रतिनिधि, चार पहिया मोटर वाहन डीलर्स।
24. प्रतिनिधि, दुपहिया मोटर वाहन डीलर्स।
25. प्रतिनिधि, ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन।
26. प्रतिनिधि, स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
27. प्रतिनिधि, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
28. प्रतिनिधि, टैक्सी/ऑटो ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
29. प्रतिनिधि, सम्भाग स्तर से सडक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था।
30. मैनेजिंग ट्रस्टी, सहायता संस्था, 297, तरूछाया नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
31. मैनेजिंग ट्रस्टी, मुस्कान संस्था, 45, हरिकिशन सोमानी मार्ग, हथरोई, अजमेर रोड़, जयपुर।
32. जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
33. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)